प्रदेश में पशुवधशालाओं के संचालन के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय समिति" की वारहवीं बैठक दिनांक 01.12.2017 का कार्यवृत्त।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशाला से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं के कियान्वयन के संबंध में योजित रिट याचिका–(सिविल) 309/2003, लक्ष्मी नारायण भोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2012 तथा सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 02.07.2012 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में उ0प्र0 राज्य के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.09.2012 द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में एक **"राज्य स्तरीय समिति"** का गठन किया गया है, जिसकी बैठक इसके पूर्व दिनांक 08.08.2017 को सम्पन्न हुई थी उक्त बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त दिनांक 22.08.2017 को निर्गत किया गया।

1. समिति के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि "राज्य स्तरीय समिति" की बैठक दिनांक 04.01.2017 में तीन फर्मों को पशुवधशाला की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था, परन्तु तत्समय विधान सभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहित प्रभावी होने के कारण आदेश निर्गत नहीं हुए। उक्त आदर्श आचार संहिता फरवरी–2017 में समाप्त हुई। उसके पूर्व ही पशुवधशालाओं की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2017 के क्रम में भारत सरकार द्वारा 24 कम्पेंडियम भी निर्गत कर दिये गये थे। इस क्रम में अग्रिम कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन चाहा गया। उक्त प्रकरणों पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इन परियोजनाओं के प्रस्ताव को सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भेजते हुए भारत सरकार द्वारा निर्गत 24 कम्पेंडियम के आलोक में प्रकरण का पुनः परीक्षण करते हुए जिला स्तरीय समिति की संस्तुति सहित यथा आवश्यकता प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय। **(कार्यवाही नगर विकास विभाग)**

2. पशुवधशालाओं की स्थापना/क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित होने के उपरान्त अनापत्ति हेतु जो प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुए हैं, उनकी सूची संलग्न है, जो मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.02.2017 के कम में भारत सरकार द्वारा निर्गत 24 कम्पेंडियम के पूर्व के है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव सम्बन्धित जिलाधिकारियों को वापस प्रेषित कर उन्हें निर्देशित कर दिया जाय कि वे मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.02.2017 के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्गत 24 कम्पेंडियम के आलोक में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर, जिला स्तरीय समिति की संस्तुति सहित संशोधित प्रस्ताव यथा आवश्यकता शासन को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही नगर विकास विभाग)

3. बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 'राज्य स्तरीय समिति' की विगत बैठकों में की गयी संस्तुति के अनुरूप प्रदेश में निजी निवेशकर्ताओं द्वारा 09 पशुवधशालाओं द्वारा संचालन की अनापत्ति नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत किये गये थे। उक्त पशुवधशालायें मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.02.2017 के कम में निर्गत 24 कम्पेंडियम की सभी शर्तो का पालन नहीं करती है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त पशुवधशालाओं की अनापत्ति पर पुर्नविचार करने हेतु नगर विकास विभाग से अनुरोध किया गया।

समिति ने इन प्रस्तावों पर भी जिलाधिकारी से 24 कम्पेंडियम के आलोक में परीक्षण कराकर रिर्पोट प्राप्त करने का निर्णय लिया।

उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णयोपरान्त बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नक–यथोक्त।

मनोज कुमार सिंह
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय समिति/
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–8
संख्या– 5411 /नौ–8–2017–107ज/2017
लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज/गृह/पर्यावरण/पशुधन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग /श्रम विभाग/परिवहन/खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3– समस्त मण्डलायुक्त,/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
4– निदेशक, नगरीय निकाय निदशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6– सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7– समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)
8– गार्ड फाइल।

(बृजेन्द्र सिंह)
अनुसचिव।